कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक- 3487/11-सी- FP/UP/Approach /46748/2020 लखनऊ, दिनांकः मई 22,2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:— जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा—झींझक मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 01 (चैनेज 0.445—0.481 के मध्य) बांयी पटरी पर गाटा संख्या—179 ग्राम—गुटैया, तहसील—अकबरपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रस्तावित 0.2468 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Approach /46748/2020

संदर्भ— भारत सरकार का पत्रांक—8बी0 / यू0पी0 / 06 / 185 / 2023 / एफ0सी0 / 523, दिनांक—21.02.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक—2944/14—1 दिनांक 20.05.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड—हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई—चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

> भवदीय, *श्वि* (अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,,

संख्या— उ. 4-8 र्रिंग—सी FP/UP/Approach /46748/2020 दिनांकित। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात।

3— श्री हेमन्त कुमार मुख्य प्रबन्धक (खुदरा विकय), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी कानपुर—208020

(अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र0, लखनऊ।

संख्या— /11—सी FP/UP/Approach /46748/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, २०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर पत्रांक २१४५ / 14-1 दिनांक कानपुर, मई, २० 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी

उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषय:-

जनपद कानपुर देहात में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रूरा—झींझक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 1 (चैनेज सं0—445 से 481 के मध्य) बायी पटरी पर गाटा सं0—179 ग्राम गुटैया, तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.2468 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 11सी-2118 / FP/UP/Approach /46748/2020 दिनांक 23.02.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात ने अपने पत्रांक 3246/14-1 दिनांक 02.05.2024 से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय अलीगंज लखनऊ की पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/185/2023/एफ0.सी0/523 दिनांक 21.02.2024 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समस्त अभिलेखों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है। उक्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में समस्त अभिलेखों सहित संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

| Sr. No. | CONDITIONS | COMPLIANCE |
|------------|---|--|
| 1 | The legal status of the land remain unchanged | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है |
| 2 | Compensatory aforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.4936 hac. (DFL) Degraded forest land in Dibair Forest Block Range Bhognipur District-Kanpur Dehat at the cost of Rs. 88307.00 the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of the species has to be avoided. | इस मद में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित है। शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मांगी गयी धनराशि 88307.00 (रू० अट्ठासी हजार तीन सौ सात मात्र) को Compensatory afforestation fund Management and Planning Authority के खाते में ई—पोर्टल द्वारा जनित चालान द्वारा जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। |
| 3 | The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation scheme and the cost of survey and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work schedule for subsequent years. | इस मद में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित है। शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मांगी गयी धनराशि 88307.00 (रू० अट्ठासी हजार तीन सौ सात मात्र) को Compensatory afforestation fund Management and Planning Authority के खाते में ई—पोर्टल द्वारा जनित चालान द्वारा जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। |
| 4 | The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) Rs. 303216 .00 for the 0.2468 ha. Forest area to diverted under the proposal from the user agency as per the order of the Ho'ble Supreme Court of india dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per guidelines issued by the ministry vide letter no. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated | प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०स0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2011-एफ०सी० दिनॉक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि रू० 303216.00 प्रति हेक्टेयर की दर से 0.2468 X 1228590 = |

osc:spcial/Letter. May2024

| | 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user agency in this regards. | 303216 .00 (रू० तीन लाख तीन हजार दो सौ सोलह मात्र) ई—पोर्टल द्वारा जनित चालान के माध्यम से जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है |
|----|---|---|
| 5 | Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Ho'ble Supreme Court of India on receipt shall be charged by the state Government form the user agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. | शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 6 | Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green Belt plan on separator island shall be approved by DFO, insure in appropriate site specific species. Green Belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 7 | Entire periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain Greenery without compromising with the land requirement of the establishment. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 8 | User agency and authorized signatory oil company issuing sanction letter shall be liable for land use including tree plantation for entry/exit and separator island strictly as per the approved lay out plan and any violation/non adherence shall attract penal action/prosecution in component court of jurisdiction as per FCA (1980) rules and guidelines. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 9 | Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged Six Monthly Report be maintained at retail outlet and be submitted six monthly | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 10 | No tree felling shall be done while executing the said project. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 11 | The Complete Compliance of the FRA 2006, shall be ensured by way of prescribed certificate form the concerned District Collector. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 12 | No Violation of FCA Certificate From concerned DFO shall be provided. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 13 | Greeney Will be maintained by user agency around periphery of the petrol pump. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 14 | User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for Plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 15 | Plantation shall also be done along the inside boundary of the fuel station. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 16 | Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MoRTH guidelines dated 24.07.2013 has to be provided. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 17 | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 18 | Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be *granted in favour of user agency or the project life, whichever is less. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 19 | The KML file of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC works, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the E Green Watch portal with all requisite details before commencement of works. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 20 | The violation of the any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and guidelines as applicable, specifically MoEFCC guidelines dated 15/05/2023: Processing of proposals | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |

| | involving violation of Forest (Conservation) Act, 1980 – authorizing State Government/Union Territory administrations to take cognizance of the offence committed under the Forest (Conservation) Act 1980, Authorizing Officer of the rank of the Division Forest Officer/Deputy Conservator of Forest and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act 1980 is committed for violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/Authority/Organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the Violation of the rules made there under, in the court having Jurisdiction in the matter. | |
|------|---|---|
| 21 | Any other condition that the Ministry of Environment, Forests and Climate Change May Stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 22 | All the funds received form the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only thru e-portal (http://www.parivesh.nic.in) | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि ई—पोर्टल से जनित चालान द्वारा जमा की गयी है। |
| 23 | The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://www.parivesh.nic.in) | शर्त के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| i | CA Amount as per Proposal | रू० 88307.00 (रू० अट्ठासी हजार तीन सौ सात मात्र) |
| ii | CA Amount deposited | रू० 88307.00 (रू० अट्ठासी हजार तीन सौ सात मात्र) |
| iii | Difference in amount | |
| iv | Reason for difference | - |
| ٧ | NPV amount as per proposal | रू० 303216.00 (रू० तीन लाख तीन हजार दो सौ सोलह मात्र) |
| vi | NPV amount deposited | रू० 303216.00 (रू० तीन लाख तीन हजार दो सौ सोलह मात्र) |
| vii | Difference in amount | |
| viii | Reason for difference | - |
| ix | Any other amount deposited (Complete details be provided) | _ |
| Х | CAMPA confirmation | संलग्न है। |

संलग्नक :- यथोपरि

भवदीय ar: (कृष्ण कुमार सिंह) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्याः अ/ समिदिनांकित

प्रतिलिपि:— प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात को उनके पत्रांक
3246/14—1 दिनांक 02.05.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— श्री हेमन्त कुमार मुख्य प्रबन्धक (खुदरा विकय), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, कानपुर
मण्डलीय कार्यालय पनकी कानपुर—208020 को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं इस आशय के सीथ प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समस्त अभिलेखों सहित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

> (कृष्ण कुमार सिंह) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

